



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 2009/ आश्विन 4, 1931

No. 185]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2009/ASVINA 4, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2009

सं. भा.आ.प. 203(9)/2009-पंजी/39606.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्क्रीनिंग परीक्षा विनियमावली, 2002" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :-

1. इन विनियमों को "स्क्रीनिंग परीक्षा विनियमावली (संशोधन), 2009 भाग-1" कहा जाए।
2. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. "स्क्रीनिंग परीक्षा विनियमावली, 2002" में निम्नलिखित परिद्वर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :-
4. (i) विनियम 3 में पहली पंक्ति में "कोई भारतीय नागरिक" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-  
"या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की प्रवासी नागरिकता प्रदान की गई है।"
- (ii) विनियम 4 में, "पात्रता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत पैरा (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-  
"किसी भी व्यक्ति को स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक वह भारत का/की नागरिक न हो या उसे भारत की प्रवासी नागरिकता प्रदान न कर दी गई हो और वह ऐसी प्राथमिक चिकित्सा अर्हता ना रखता/रखती हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित भारतीय दूतावास द्वारा, उस देश में, चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए एक

मान्यताप्राप्त अर्हता होने हेतु न कर दी गई हो, जिस देश में उक्त अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है।"

- (iii) विनियम 4 में, "पात्रता मानदण्ड" शीर्षक के अंतर्गत पैरा (2) में "यह शर्त, भारतीय नागरिकों के संबंध में आवश्यक नहीं होंगी" वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-  
"या भारत के प्रवासी नागरिक"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[सं. विज्ञापन III/4/असा./100/09]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "स्क्रीनिंग परीक्षा विनियमावली, 2002" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 28 जून, 2003 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में दिनांक 18 फरवरी, 2002 को प्रकाशित की गई थी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2009

No. MCI. 203(9)/2009-Regn./39606.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Screening Test Regulations, 2002" namely :-

1. These regulations may be called the "Screening Test Regulations (Amendments), 2009 Part-I."
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the "Screening Test Regulations, 2002", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein :-

- 4.(i) In Regulation 3, first line after the words, "An Indian Citizen" the following shall be added :—

**"or a person who has been granted Overseas Citizenship of India."**

- (ii) In Regulation 4 under the heading "Eligibility Criteria", para (1) shall be substituted with the following :—

"No person shall be allowed to appear in the screening test unless: he/she is a Citizen of India or has been granted Overseas Citizenship of India and possess any primary medical qualification, which is confirmed by the Indian Embassy concerned, to be a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country

in which the institution awarding the said qualification is situated."

- (iii) In Regulation 4 under the heading "Eligibility Criteria", in para (2) after the sentence "This requirement shall not be necessary in respect of Indian Citizens", the following shall be added :—  
"or Overseas Citizens of India."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.  
[ADVT III/4/Exty./100/09]

**Footnote :** The Principal Regulations namely, "Screening Test Regulations, 2002" were published on 18th February, 2002 in Part III, Section 4 of the Gazette of India and Amended *vide* Medical Council of India Notification dated the 28th June, 2003.